



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6665

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट -ए संख्या - 56 वर्ष 2026

नरेंद्र पाल और 13 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	सैयद वाजिद अली,
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद वाजिद अली और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।
2. याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि वे अपनी नियुक्ति की तिथि से ही सहारनपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में वरिष्ठ संग्रहण अमीन के पद पर कृत्रिम अवकाश के साथ कार्यरत हैं। वरिष्ठ संग्रहण अमीन के पद पर वरिष्ठता, पात्रता और उत्तर प्रदेश संग्रहण अमीन सेवा नियम, 1974 के तहत निर्धारित नियमितीकरण के आधार पर नियमित नियुक्ति प्रदान करने के लिए एक चयन समिति का गठन किया गया था और उसकी बैठक 29.08.2025 को आयोजित की गई थी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, चूंकि उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक हो चुकी है, इसलिए 30.08.2025 को नियमितीकरण के लिए सिफारिश की गई थी।
3. वर्तमान याचिका में अंतिम निर्णय लिये जाने की प्रार्थना की गई है।
4. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय प्रधान सचिव (राजस्व), अनुभाग-7, लखनऊ द्वारा किया जाएगा।
5. न्यायालय में प्रस्तुत निवेदनों पर विचार करने के बाद, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह **22.01.2026** तक एकमात्र प्रतिवादी, प्रधान सचिव (राजस्व), अनुभाग-7, लखनऊ के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रमाणित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। इसके बाद, एकमात्र प्रतिवादी छह सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेगा।

9 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।